



Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 15 जनवरी, 2021

इबोला वायरस वैक्सीन का भंडारण

वशिव स्वास्थ्य संगठन द्वारा भविष्य में इबोला प्रकोपों से निपटने के लिये इबोला वैक्सीन का भंडार तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में जारी अधिसूचना के मुताबिक, डॉक्टरस वदिउट बॉर्डर्स, यूनिसेफ और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस जैसे अंतरराष्ट्रीय संस्थान भी इस कार्य में वशिव स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सहायता करेंगे। वशिव स्वास्थ्य संगठन द्वारा इबोला वैक्सीन का भंडार स्वटिज़रलैंड में स्थापित किया जाएगा। इसमें इबोला वैक्सीन के तकरीबन 50000 डोज़ आरक्षित किये जाएंगे जसमें तकरीबन 7000 डोज़ पहले से मौजूद हैं, जबकि शेष डोज़ का भंडारण आने वाले समय में इस भंडार में किया जाएगा। वैक्सीन भंडारण के लिये वित्तीय सहायता वैश्विक वैक्सीन गठबंधन GAVI द्वारा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वशिव स्वास्थ्य संगठन ने अपने अन्य भागीदारों के साथ मिलकर 'मेननिजाइटिस' और 'येलो फीवर' की वैक्सीन का भी भंडारण किया है। इबोला वायरस की खोज सबसे पहले वर्ष 1976 में इबोला नदी के पास हुई थी, जो कि अब कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। अफ्रीका में फ्रूट बैट चमगादड़ इबोला वायरस के वाहक हैं जनिसे पशु (चिंपांजी, गोरलिला, बंदर, वन्य मृग) संक्रमित होते हैं। इसमें वायुजनित संक्रमण नहीं होता है।

वक्फ संपत्तियों को जियो-टैग

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने केंद्रशासित प्रदेश पुदुचेरी में सभी वक्फ संपत्तियों की जियो-टैगिंग करने का निर्णय लिया है, जसि पर जल्द ही कार्य शुरू किया जाएगा। इस निर्णय का प्राथमिक उद्देश्य केंद्रशासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के अवैध अतिक्रमण को रोकना है। ज्ञात हो कि बीते 15 वर्ष में पुदुचेरी में कोई भी वक्फ बोर्ड स्थापित नहीं किया गया है। जियो-टैगिंग का आशय वभिन्न मीडिया फाइलों जैसे- फोटोग्राफ, वीडियो, वेबसाइट या आरएसएस फीड में भौगोलिक पहचान मेटाडेटा को जोड़ने की प्रक्रिया से है, यह भू-स्थानिक मेटाडेटा का ही एक रूप है। इस डेटा में प्रायः अक्षांश और देशांतर निर्देशांक शामिल होते हैं, हालाँकि इसमें ऊँचाई (Altitude) और स्थान आदि को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं वक्फ धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये ईश्वर के नाम पर दी गई संपत्ति होती है। कानून के अनुसार इस्लाम धर्म को मानने वाले किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक अथवा धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये स्थायी रूप से दान की गई कोई भी चल अथवा अचल संपत्ति वक्फ संपत्ति होती है। भारत में वक्फ संपत्ति को वक्फ अधिनियम, 1995 द्वारा शासित किया जाता है।

फेसलेस पेनाल्टी स्कीम, 2021

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अपने फेसलेस मूल्यांकन कार्यक्रम के तहत आयकर से संबंधित जुरमाना अधिरोपित करने से जुड़े मुद्दों के लिये 'फेसलेस पेनाल्टी स्कीम, 2021' शुरू की है। योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जुरमाना भरने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, जसिमें अपीलिय कार्यवाही के दौरान अतिरिक्त आधार और नए सबूतों को जोड़ने की प्रक्रिया भी शामिल है। इस स्कीम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्राधिकरण द्वारा जारी किसी भी जुरमाना संबंधी आदेश की सही ढंग से पुष्टि की जाए। आयकर विभाग ने आयकर आकलन में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये बीते वर्ष अगस्त माह में 'फेसलेस मूल्यांकन कार्यक्रम' शुरू किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य करदाताओं और आयकर विभाग के बीच मानवीय इंटरफेस को पूर्णतः समाप्त करना है। इस प्रणाली में कर अधिकारी के समक्ष उपस्थिति होने की आवश्यकता नहीं होगी।

भारत मौसम वजिज्ञान विभाग

भारत मौसम वजिज्ञान विभाग (IMD) 15 जनवरी, 2021 को अपना 145वाँ स्थापना दविस मना रहा है। भारत मौसम वजिज्ञान विभाग की स्थापना वर्ष 1875 में ब्रिटिश भारत में की गई थी। यह मौसम वजिज्ञान एवं संबद्ध विषयों से संबंधित सभी मामलों की एक प्रमुख सरकारी एजेंसी है। इस एजेंसी का प्राथमिक कार्य मौसम संबंधी वशिष्ट सूचनाओं को एकत्र करना और मौसम-संवेदनशील गतिविधियों के संचालन जैसे- कृषि, संचाई, शपिगि, विमानन, अपतटीय तेल की खोज आदि हेतु मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करना है। इसके अलावा यह मौसम वजिज्ञान और संबद्ध विषयों में अनुसंधान करने और उसे बढ़ावा देने का कार्य भी करता है। वर्ष 2020 में भारत मौसम वजिज्ञान विभाग (IMD) ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हासिल की हैं। वर्ष 2020 में वशिव मौसम संगठन (WMO) ने भारत मौसम वजिज्ञान विभाग (IMD) की 7 वेधशालाओं को मान्यता प्रदान की है तथा वर्तमान में 29 डॉपलर मौसम रडार देश में कार्यरत हैं, जनिमें सोनमरग (जम्मू-कश्मीर) में स्थित एक पोर्टेबल डॉपलर मौसम रडार भी शामिल है। इसके अलावा वर्ष 2020 में वास्तविक वर्षा आँकड़ों के एकत्रण को 683 जिलों से बढ़ाकर 690 जिलों तक किया गया है।

